विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक .... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

6/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल
पत्र किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित, विपक्षीगण को
कितनी बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद
भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये
जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार
किया जाकर निर्णय पृथक से। लिखा जाकर शामिल पत्र किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:51:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

संख्या – 207/24 प्रा.पत्र

भैरूलाल s/o श्री नन्दा माली निवासी–माण्डल तहसील माण्डल

प्रार्थी

बनाम

छगना लाल s/o श्री शंकर माली निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)
(खातेदार पक्ष कास्तकार)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 06.06.24

::आदेश::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माण्डल.........पटवार हल्का माण्डल I........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की नं0 5099/1..........कुल किता 01..........रकबा 0.1138.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.5.24..........को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अर्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल........पटवार माण्डल I.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं..... 5099/1..............
ता..............01................रकबा 0.1138........हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डल
0........रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:51:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा